शंकरलाल पिता रतनलाल अहीर, निवासी–ग्राम पीपलीयाहाडा

तहसील व जिला नीमच ——आवेदक

विरूद्ध

01 गोपाल उर्फ अम्बालाल पिता जग्गा

02 ग्राम पंचायत गिरदेड़ा, जनपद पंचायत नीमच

03 म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार, नीमच

——अनावेदक

XXXIX(a)BR(H)-11

(9)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1699–एक/14 जिला – नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–10–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । इस प्रकरण में आवेदक द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष लगभग 9 वर्ष पश्चात अपील की गई जो उन्होंने निरस्त की, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा जानकारी का दिनाक 5–7–11 बताया है जबकि उसके द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ तहसीलदार के आदेश की जो प्रति प्रस्तुत की गई है वह दिनांक 11–2–03 को जारी की गई है । स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा जानकारी का जो दिनांक बताया गया था वह अभिलेख पर आधारित नहीं है अतः अपर आयुक्त ने इस प्रकरण में एस.डी.ओ. द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करने में कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं की है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हो एवं आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	